19-8-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हुये। अप्रार्थी अनुपस्थित है अप्रार्थी की ओर से वकालत पत्र पेश नहीं हुआ है अप्रार्थीगण को तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी अनुपस्थित है। अतः प्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी :- निरन्तर :-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
	गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा गादूनिया पटवार हल्का बलीचा तह० खेरवाड़ा में स्थित वादी के खातेदारी भूमि खाता सं० 42 तथा ख० 36 पुराना की कृषि आराजी खसरा नं० 634, 638, 639, 767, 768, 780 कुल 6 खसरा रकबा 1.3300 है० कुल जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि है। उसका हक वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए हक तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश किया जाता है कि अप्रार्थीगण सं० 1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे। एवं न ही किसी अन्य से करावे वाद ग्रस्त भूमि कि स्थिति यथावत बनाये रखे। अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी	